THE BIHAR INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS (NATIONAL AND FESTIVAL HOLIDAYS AND CASUAL LEAVE) BILL, 1971

(As passed by the Bihar Legislature)

Publisher's note—The Bihar Industrial Establishments (National and Festival holidays and casual leave) Act, 1976 has been published in Hindi version. Considering the difficulty of the readers we are giving the english version of the bill.]

An

Act

To Provide For National And Festival Holidays And Casual Leave To The Persons Employed In Industrial Establishments In The State Of Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Twenty-Second year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Bihar Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual Leave) Act, 1976.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from such date as the State Government may appoint by a notification in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "Day" means a period of twenty four hours beginning from the midnight.

(b) "Employee" means—

(i) a workman employed in any industrial establishment for skilled or unskilled, manuals, supervisory, technical or clerical job whether on hire or reward and includes an apprentice whether the terms of employment are expressed or implied; or

(ii) such other workmen or group of workmen employed in any industrial establishment whom the State Government may declare to be "employer" for the purposes of this Act, by a notification in the Official Gazette.

(c) "Employer", in relation to an industrial establishment, means the person who has ultimate control over the affairs of the industrial establishment and where the said affairs are entrusted to any other person, such other person, whether called by name of managing agent, manager, superintendent or by any other name.

(d) "Government" means the State Government of Bihar.

(e) "Industrial Establishment" means—

(i) a factory as defined in clause (*m*) of section 2 of the Factories Act, 1948 (Act 63 of 1948) or a place deemed to be a factory under sub-section (2) of section 85 of the said Act ;

(ii) a plantation as defined in clause (*f*) of section 2 or the Plantations Labour Act, 1951 (Act 69 of 1951).

(f) "Inspector" means an inspector appointed under sub-section (1) of section 7;

(g) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and

(h) "Wages" means all remuneration whether by way of salary and allowances or otherwise expressed in terms of money or capable of being so expressed, which would, if the terms of employment, expressed or implied, were complied, be payable to an employee in respect of his employment or of work done in such employment, but does not include the following :—

(i) Any bonus;

(ii) The value of any house accommodation, supply of light and water, medical or any other amenity or of any service or any concessional supply of foodgrains or other articles;

(iii) Contributions paid or payable by the employer as follows :—

(a) on account of any pension or provident fund and interest accruing thereon; or

(b) on account of any benefit of the employee under any law for the time being in force.

(iv) Any travelling allowance or the value of any travelling concession;

(v) Any sum paid to the employee for defraying special expenses incurred on him due to the nature of his employment; or

(vi) Any gratuity payable on the termination of employment.

3. **National and Festival Holidays.**—(1) Every employee shall be granted following holidays in each calendar year in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed :—

(a) Three National Holidaya on the 26th January, 15th August and the 2nd October.

(b) Four other holidays on any festival out of the festivals mentioned in the Schedule .

(c) International Labour day on 1st May

(2) The Government may add to or exclude a festival from the schedule by a notification in the official Gazette and on publication of such notification the schedule shall be deemed to be amended accordingly.

4. **Casual leave.**—Every employee shall be granted in each calender year, in addition to all other leaves admissible under any other law, at least seven days of casual leave in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed.

5. **Account of Holidays and Leave.**—Every employer shall maintain an account of Festival holidays and casual leave of every employee in such form and in such manner as may be prescribed and every employee shall be allowed to see that account.

6. Wages.—(1) Notwithstanding any contract to the contrary every employee shall be paid wages for the days of National festival holidays and casual leave allowed to him.

(2) If any employee works on any holiday allowed under section 3 he shall at his discretion be entitled for the following-—

(a) Double wages for that day ; or

(b) Wages for that day and in lieu thereof holiday of any other day with wages within three days of the day on which he so works:

Provided that an employee, whose name is not borne, on the rolls of the industrial establishment continuously for one month immediately before such holiday or leave, shall not be entitled for wages for such holiday or leave except for national holidays.

7. Inspections.—(1) The Government may, by notification in the official Gazette, appoint such class of persons as it thinks fit, to be Inspectors for the purposes of this Act for such areas as may be specified in the notification.

(2) Every Inspector shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

8. Powers of Inspectors—Subject to rules made by the Government in this behalf, Inspector may, within the areas for which he is appointed:—

(a) enter at all reasonable times any place which is an industrial establishment, or which he has reasons to believe to be such an establishment;

(b) search the premises and examine any prescribed registers, records and notices maintained in pursuance of this Act or the rules made thereunder;

(c) take evidence of such persons on the spot or otherwise, which he may consider necessary to examine for carrying out the purposes of the Act :

Provided that no person shall be compelled to answer any question or to give any evidence tending to implicate himself of an offence; and.

(d) exercise such other powers which may be prescribed for carrying out the purposes of this Act.

9. Penalty.—Any employer who contravenes any provisions of sections 3, 4, 5 and 6 or any rule or order made under this Act, shall be punishable for the first offence with fine which may extend to rupees fifty and for every subsequent offence after the first conviction with a fine which may extend to rupees two hundred and fifty and the court while delivering judgement may order that the whole or any part of the fine realised shall be paid, as compensation to any person who in the opinion of the court has sustained any loss or injury on account of such offence.

10. Penalty for obstructing Inspector.—Whoever wilfully obstructs any Inspector in exercise of any powers conferred on him by or under this Act or knowingly fails to produce on demand by an Inspector any register, record or notice which is required to be maintained under the provision of the Act or any

rule made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with a fine which may extend to five hundred rupees or with both :

Provided that in no case such imprisonment shall be less than for a week and such fine shall be less than rupees fifty.

11. Cognizance of offence.—(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or the rules made thereunder save and except on a complaint made in writing by the aggrieved person or the Inspector.

(2) No Court inferior to that of a magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act or the rules made thereunder.

12. Exemptions.—(1) Nothing contained in this Act shall apply to—

(a) any such employee who gets monthly wages of more than five hundred rupees and be chiefly employed on a managerial administrative or supervisory post;

(b) any industrial establishment under the control of the Central Government or the State Government; and

(c) any mine or oil field.

(2) The Government may by notification in the official Gazette, subject to such terms and conditions as it may think fit, exempt any class of industrial establishments from all or any provisions of this Act, permanently or for a specified period.

13. Rights and privileges under any other law not to be affected: -Where any employee of an industrial establishment is entitled to such rights and privileges under any other law for the time being in force or under any contract or custom or usage applying to the said establishment, which are more favourable to him, than any right and privileges conferred by this Act, nothing contained in this Act shall affect such rights or privileges.

14. Power to make rules—(1) The Government may, subject to previous publication by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) The manner and conditions under which the employees shall be granted national and other holidays and casual leave under sections 3 and 4;

(b) the form and the manner in which the account of festival holidays and casual leave shall be maintained; and

(c) any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature, while it is in session for a period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before, the expiry of the session in which it is laid or the session immediately following, the legislature agree in making any modifica-

tion in the rule or the legislature agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such notified form or be of no effect as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

SCHEDULES

Section 3 (1) (b)

1. New Year's day.
2. Id-Ul-Fitre.
3. Basant Panchami.
4. Good Friday.
5. Holi.
6. Id-Uz-Zoha.
7. Muharram.
8. Dashahara.
9. Diwali.
10. Christmas Day.
11. Guru Govind Singh Birthday.
12. Ram Navami.
13. Birthday of Bhagwan Mahabir.
14. Janmashthami.
15. Vishwakarma Diwas.
16. Budh Purnima.

The 18th December 1984

S. O. 1298 dated the 25th November, 1985 —In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Bihar Industrial Establishment (National and Festival Holidays and Casual Leave) Act, 1976, the Bihar State Government is pleased to add the following festivals after serial number 16 of the Schedule Appended to the said Act :—

"[17. Chhath.
18. Makar Sankranti.
19. Guru Nanak Birth-day.
20. Bhaiya Dooj.
21. Maha-shivaratri.
22. Raksha Bandhan.
23. Sarahul."

बिहार औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) अधिनियम, १९७१।

[बिहार अधिनियम १७, १९७७]

बिहार राज्य औद्योगिक स्थापनाओं में नियोजित व्यक्तियों को राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी देने का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत-गणराज्य के बाइसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

[टिप्पणी :—यह अधिनियम 23.10.1977 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हुआ एवं बिहार गजट (असाधारण) अंक में 15.11.1977 को प्रकाशित हुआ।

इस अधिनियम द्वारा औद्योगिक स्थापनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी दी जायगी जिसकी संख्या कुल मिलाकर 15 दिनों की होगी, जो निम्न रूप में होंगी :—

(क) तीन राष्ट्रीय अवकाश। (ख) चार उत्सव अवकाश।

(ग) एक मई दिवस अवकाश। (घ) सात आकस्मिक छुट्टी।

अधिनियम यह भी उल्लेखित करता है किसी कर्मचारी को अगर अवकाश न दिया जा सके तो उसे कितनी मजदूरी देय होगी।]

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—(1) यह अधिनियम बिहार औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) अधिनियम, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार-राज्य पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएं :—जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस अधिनियम में—

(क) "दिन" से अभिप्रेत है मध्य रात्रि से आरम्भ होने वाली चौबीस घंटों की अवधि;

(ख) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है—

(i) भाड़ा या इनाम पर कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक, पार्यवेक्षणिक तकनीकी अथवा लिपिक कार्य करने के लिये किसी औद्योगिक स्थापना में नियोजित कोई कामगार जिसमें (अप्रेंटिस) भी शामिल है चाहे नियोजन के निबन्धन अभिव्यक्त हों या विविक्षित, अथवा

(ii) किसी औद्योगिक स्थापना में नियोजित कोई अन्य कामगार या कामगार-वर्ग,

श्रमायुक्त झारखण्ड रांची
गोपनीय कोषांग

जिसे सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कर्मचारी घोषित करें;

(ग) किसी औद्योगिक स्थापना के संबंध में प्रयुक्त होने पर "नियोजक" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका औद्योगिक स्थापना के कामकाज पर अन्तिम नियन्त्रण हो, और जहाँ किसी औद्योगिक स्थापना के कामकाज किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गये हों जिसे प्रबन्ध एजेन्ट, प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता हो, वहाँ ऐसा अन्य व्यक्ति;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार की राज्य-सरकार;

(ङ) "औद्योगिक स्थापना" से अभिप्रेत है—

(i) कारखाना अधिनियम (फैक्टरीज ऐक्ट), 1948 (अधिनियम 63, 1948) की धारा 2 के खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित कोई कारखाना अथवा ऐसा कोई स्थान, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन कारखाना समझा जाता हो, या

(ii) बागान श्रम अधिनियम (प्लान्टेशन लेबर एक्ट, 1951) (अधिनियम 69, 1951) की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित कोई बागान;

(च) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक;

(छ) "विहित" अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित; और

(ज) "मजदूरी" से अभिप्रेत है ऐसे सभी पारिश्रमिक, चाहे वे वेतन और भत्ते के रूप में हों या जो धन के रूप में अभिव्यक्त हों या अभिव्यक्त किये जा सकते हों और जो नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धनों के पूरे कर दिये जाने पर किसी कर्मचारी को उसके नियोजन अथवा ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के बारे में भुगतेय हों किन्तु इनमें निम्न शामिल नहीं हैं :—

(i) कोई बोनस;

(ii) किसी मकान की व्यवस्था, रोशनी और जल की आपूर्त्ति, चिकित्सा संबंधी सुविधा या किसी अन्य सुख-सुविधा का अथवा किसी सेवा का अथवा खाद्यान्न या अन्य सामग्रियों की रियायती दर पर आपूर्त्ति का मूल्य;

(iii) नियोजन द्वारा निम्न रूप में दिया गया देय कोई अभिदाय :—

(क) किसी पेंशन या भविष्य-निधि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज मुद्दे, अथवा

(ख) उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर्मचारी के फायदे के लिये;

(iv) कोई यात्रा भत्ता या यात्रा संबंधी किसी रियायत का मूल्य;

(v) अपने नियोजन के स्वरूप के कारण उस पर होने वाले विशेष व्यय को चुकाने के लिये कर्मचारी को दी गई कोई रकम, अथवा

(vi) नियोजन की समाप्ति पर देय कोई उपदान।

3. राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश :—(1) प्रत्येक कर्मचारी को प्रति कैलेन्डर वर्ष में ऐसी रीति से और ऐसी शर्त्तों पर, जो विहित की जायें, निम्न अवकाश दिये जायेंगे :—

(क) 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को तीन राष्ट्रीय अवकाश;

(ख) अनुसूची में उल्लिखित उत्सवों में से किसी उत्सव पर चार अन्य अवकाश।

(ग) "मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस 1 मई"।

(2) सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी उत्सव को अनुसूची में जोड़ या उससे हटा सकती है और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायगी।

4. आकस्मिक छुट्टी :—हरेक कर्मचारी को प्रति कैलेन्डर वर्ष में, किसी अन्य विधि के अधीन अनुमान्य अन्य सभी छुट्टियों के अतिरिक्त, कम-से-कम कुल सात दिनों की आकस्मिक छुट्टी ऐसी रीति से और ऐसी शर्त्तों पर दी जायगी, जो विहित की जाय।

5. अवकाश तथा छुट्टी का लेखा :—हरेक नियोजक, हरेक कर्मचारी के उत्सव अवकाश तथा आकस्मिक छुट्टी का लेखा ऐसे फारम में ऐसी रीति से रखेगा, जो विहित की जाय और हरेक कर्मचारी उस लेख को देख सकेगा।

6. मजदूरी :—(1) किसी विपरीत संविदा के होते हुए भी, प्रत्येक कर्मचारी को उसे मंजूर राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी के दिनों के लिये मजदूरी दी जायगी।

(2) यदि कोई कर्मचारी धारा 3 के अधीन अनुज्ञात किसी अवकाश के दिन काम करे तो वह स्वेच्छानुसार, निम्नलिखित का हकदार होगा :—

(क) उस दिन के लिये दुगनी मजदूरी, अथवा

(ख) उस दिन की मजदूरी और उसके एवज में जिस दिन वह इस प्रकार काम करे उस दिन से तीन दिनों के भीतर, किसी अन्य दिन की मजदूरी सहित अवकाश :

परन्तु जिस कर्मचारी का नाम औद्योगिक स्थापना की नामावली में ऐसे अवकाश या छुट्टी के ठीक पहले लगातार एक महीने तक न रहा हो, वह राष्ट्रीय अवकाश के अलावा ऐसे किसी भी अवकाश या छुट्टी के दिन के लिये कोई मजदूरी पाने का हकदार न होगा।

7. निरीक्षक :—(1) सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्ति वर्ग को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक नियुक्त कर सकती है।

(2) हरेक निरीक्षक, भारतीय दंड संहिता (इंडियन पेनल कोड) (45, 1960) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक-सेवक समझा जायगा।

8. निरीक्षकों की शक्तियाँ :—इस निमित सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के अध्यधीन कोई निरीक्षक, जिन क्षेत्रों के लिये वह नियुक्त हो, उन क्षेत्रों के भीतर—

(क) सभी उचित समयों पर ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा जो औद्योगिक स्थापना हो या जिसके ऐसा होने का विश्वास करने का उसके पास कारण हो,

(ख) परिसरों और इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमावली के अनुसार रखे गये किसी विहित रजिस्टरों, अभिलेखों और नोटिसों की जाँच कर सकेगा,

ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा जिन्हें वह इस अधि-

(ग) स्थल पर या अन्यथा ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे :
नियम के प्रयोजनों को कार्यान्विति के लिये आवश्यक समझे :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर या ऐसा साक्ष्य देने के लिये
विवश नहीं किया जायगा जो उसे स्वयं अपराध में फँसाने वाला हो, और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो अधिनियम के प्रयोजनों की
कार्यान्विति के लिए विहित की जाय।

3, 4, 5, और 6 के अथवा अधि-
9. दंड :—जो भी नियोजक अधिनियम की धारा 3, 4, 5, और 6 के अथवा अधि- किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करे
नियम के अधीन बने किसी नियम या किए गये आदेश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करे दोष सिद्धि के बाद हरेक
वह प्रथम अपराध के लिए पचास रुपये तक के जुर्माने और प्रथम दोष सिद्धि के बाद हरेक दंडनीय होगा तथा न्याया-
पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दो सौ पचास रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा तथा न्याया- या उसका कोई
लय निर्णय देते समय यह आदेश दे सकेगा कि वसूल किया गया कुल जुर्माना या उसका कोई जिसे न्यायालय की राय में, उस
भाग प्रतिकर के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जायेगा, जिसे न्यायालय की राय में, उस
अपराध के कारण कोई क्षति या आघात पहुँचा हो।

10. निरीक्षक को बाधा पहुँचाने के लिए दंड :—जो कोई किसी निरीक्षक को इस
अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने में स्वेच्छा से बाधा
पहुँचाने अथवा निरीक्षक के माँग करने पर अपनी अभिरक्षा में रखा कोई रजिस्टर, अभिलेख
या नोटिस जिसका इस अधिनियम या इसके अधीन बने किसी नियम के उपबन्ध के अनुसार
रखा जाना अपेक्षित हो, जानबूझ कर पेश न करे, वह तीन महीने तक के कारावास या पाँच
सौ रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से ही दंडनीय होगा :

परन्तु किसी भी दशा में ऐसा कारावास एक सप्ताह से और ऐसा जुर्माना पचास रुपये
से कम न होगा।

11. अपराधों का संज्ञान :—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन
बने नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, क्षुब्ध व्यक्ति या निरीक्षक के लिखित
परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम या इसके
अधीन बनी नियमावली के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

12. विमुक्ति :—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर
लागू नहीं होगी :—

(क) किसी ऐसे कर्मचारी पर, जो पाँच सौ रुपये मासिक से अधिक मजदूरी
पाता हो और मुख्यतः प्रबन्धकीय, प्रशासकीय या पार्यवेक्षणिक पद पर
नियोजित हो,

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी औद्योगिक
स्थापना पर, और

(ग) किसी खान या तेल क्षेत्र पर।

(2) सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी औद्योगिक स्थापना वर्ग को
ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो सरकार उचित समझे, इस अधिनियम के किसी या सभी उपबंधों
के स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगी।

13. अन्य विधि आदि के अधीन अधिकार और विशेषाधिकार अप्रभावित :—यदि
किसी औद्योगिक स्थापना का कोई कर्मचारी उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि अथवा उक्त

श्रमायुक्त झारखण्ड राँची

स्थापना या लागू संविदा या रीति-रिवाज के अनुसार किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार का हकदार हो जो उसे अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार या विशेषाधिकार की अपेक्षा अधिक अनुकूल पड़े तो उक्त अधिकार या विशेषाधिकार पर इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. **नियम बनाने की शक्ति :**—(1) सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों की कार्यान्विति के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों के निम्न के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा :—

(क) किस रीति से और किन शर्तों पर कर्मचारियों को धारा 3 और 4 के अधीन राष्ट्रीय एवं अन्य अवकाश और आकस्मिक छुट्टी दी जायगी;

(ख) किस कारण में और किस रीति से नियोजकों द्वारा कर्मचारियों के उत्सव अवकाश तथा आकस्मिक छुट्टी का लेखा रखा जायगा, और

(ग) अन्य विषय जो विहित किये जाय या किए जा सकते हों।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया हरेक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल चौदह दिनों की अवधि तक रखा जायगा, जो चाहे एक ही सत्र में पूरी हो या दो लगातार सत्रों में और जिस सत्र में वह इस प्रकार रखा गया हो उसके या उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व यदि दोनों सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिये सहमत हो जाय अथवा दोनों सदन इसके लिये सहमत हो जाय कि वह नियम बनाया ही न जाय, तो उसके बाद वह नियम यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी ही न होगा, फिर ऐसे किसी उपान्तरण या वातलीकरण से उस नियम के अधीन पहले किसी किए गए कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

अनुसूची।

धारा 3 (1) (ख)।

1. नव वर्ष दिवस।
2. ईद्-उल्-फितर।
3. बसन्त पंचमी।
4. गुड-फ्राइडे।
5. होली।
6. ईद-उज-जुहा।
7. मुहर्रम।
8. दशहरा।
9. दीपावली।
10. बडा दिन (क्रिसमस डे)।
11. गुरुगोविन्द सिंह जन्म-दिवस।
12. रामनवमी।
13. भगवान महावीर का जन्म-दिवस।
14. जन्माष्टमी।
15. विश्वकर्मा दिवस।
16. बुद्ध पूर्णिमा।

अधिसूचना

14 दिसम्बर 1979

एस० ओ० 314, दिनांक 22 मार्च 1980—बिहार औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) अधिनियम, 1971 (बिहार अधिनियम 17 1977 की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इससे उपाबद्ध अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में उल्लिखित पदाधिकारियों को जिनका मुख्यालय उनमें से हरेक के सामने तीसरे स्तम्भ में अंकित स्थान में है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अनुसूची के चौथे स्तम्भ में हरेक के सामने यथाविनिर्दिष्ट उनकी अपनी अपनी अधिकारिता क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निरीक्षक नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

अनुसूची

क्रमांक।	पदाधिकारियों के पदनाम।	मुख्यालय।	अधिकारिता की स्थानीय सीमा।
1	2	3	4
1	श्रमायुक्त, बिहार	पटना	सम्पूर्ण बिहार राज्य।
2	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार	राँची	तदैव।
3	उप-मुख्य कारखाना निरीक्षक बिहार	पटना	तदैव।
4	उप-मुख्य कारखाना निरीक्षक (उत्पादकर्ता) बिहार।	राँची	तदैव।
5	कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल नं० 1	पटना	(क) गाँधी मैदान के समीप के बिहार राज्य पथ परिवहन निगम डिपो और समाहरणालय के बीच के पथ, गाँधी मैदान का पूर्वी पथ ब्रजकिशोर पथ और वैद्यनाथ भवन पथ के पश्चिम ओर पड़ने वाले पटना सदर अनुमंडल के क्षेत्र। (ख) दानापुर अनुमंडल।
6	कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल नं० 2	पटना	(क) क्रम 1 (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर पटना सदर अनुमंडल के अन्य क्षेत्र। (ख) पटना सिटी अनुमंडल।
7	कारखाना निरीक्षक, बिहारशरीफ, अंचल	बिहारशरीफ	(क) नालन्दा जिला। (ख) पटना जिला का बाढ़ अनुमंडल। (ग) नवादा जिला।

1	2	3	4
8	कारखाना निरीक्षक, राँची अंचल	राँची	(क) राँची, हजारीबाग पथ राँची नगर स्थित पुराना हजारीबाग पथ, चाईबासा पथ एवं मुख्य पथ को मिलाता हुआ स्टेशन पथ एवं चाईबासा पथ के पूर्व में स्थित राँची सदर अनुमंडल का क्षेत्र । (ख) खूँटी अनुमंडल ।
9	कारखाना निरीक्षक, राँची अंचल नं० 2	राँची	राँची अंचल संख्या 1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़कर राँची जिला का क्षेत्र ।
10	कारखाना निरीक्षक, गया अंचल	गया	(क) गया जिला । (ख) औरंगाबाद जिला ।
11	कारखाना निरीक्षक, रोहतास	डिहरी	रोहतास जिला ।
12	कारखाना निरीक्षक, डालटेनगंज	डालटेनगंज	पलामू जिला ।
13	कारखाना निरीक्षक, भोजपुर अंचल	आरा	भोजपुर जिला ।
14	कारखाना निरीक्षक,	मुंगेर	मुंगेर जिला (खगड़िया अनुमंडल को छोड़कर ।
15	कारखाना निरीक्षक, बेगुसराय अंचल	बेगुसराय	(क) बेगुसराय जिला । (ख) मुंगेर जिला का खगड़िया अनुमंडल । (ग) भागलपुर जिला का नौगछिया अनुमंडल । (घ) सहरसा जिला ।
16	कारखाना निरीक्षक, भागलपुर अंचल	भागलपुर.	भागलपुर जिला (नौगछिया अनुमंडल को छोड़कर) ।
17	कारखाना निरीक्षक, संथाल परगना अंचल	देवघर	संथाल परगना जिला ।
18	कारखाना निरीक्षक, पूर्णिया अंचल	कटिहार	(क) पूर्णिया जिला । (ख) कटिहार जिला ।
19	कारखाना निरीक्षक, छपरा अंचल	छपरा	(क) सारण जिला । (ख) सिवान जिला । (ग) गोपालगंज जिला ।
20	कारखाना निरीक्षक, मोतिहारी अंचल	मोतिहारा	(क) चम्पारण पूर्व जिला । (ख) चम्पारण पश्चिम जिला ।

1	2	3	4
21	कारखाना निरीक्षक, समस्तीपुर अंचल	समस्तीपुर	(क) मधुबनी जिला। (ख) दरभंगा जिला। (ग) समस्तीपुर जिला।
22	कारखाना निरीक्षक मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	(क) मुजफ्फरपुर जिला। (ख) सीतामढ़ी जिला। (ग) वैशाली जिला।
23	कारखाना निरीक्षक, गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह जिला एवं हजारीबाग जिला का कोडरमा थाना।
24	कारखाना निरीक्षक, हजारीबाग अंचल	हजारीबाग	हजारीबाग जिला (कोडरमा थाना को छोड़कर)।
25	कारखाना निरीक्षक, धनबाद अंचल—1	धनबाद	धनबाद थाना, टुन्डी थाना, गोविन्दपुर थाना एवं चिरकुन्डा थाना।
26	कारखाना निरीक्षक, धनबाद अंचल—2	धनबाद	धनबाद अंचल नं० 1 में विनिदिष्ट क्षेत्रों एवं धनबाद जिला का बाघमारा अनुमण्डल को छोड़कर धनबाद जिला के अन्य क्षेत्र।
27	कारखाना निरीक्षक, बोकारो अंचल	बोकारो स्टीलसिटी	धनबाद जिला का बाघमारा अनुमण्डल।
28	कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर अंचल—1	जमशेदपुर	धालभूम अनुमंडल।
29	कारखाना निरीक्षक, जमशेदपुर अंचल—2	जमशेदपुर	सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर एवं सरायकेला अनुमंडल
30	संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार	पटना	सम्पूर्ण बिहार राज्य।
31	उप-श्रमायुक्त, बिहार	पटना	तदैव।
32	उप-श्रमायुक्त, जमशेदपुर	जमशेदपुर	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के सिंहभूम जिला।
33	उप-श्रमायुक्त, बोकारो स्टील सिटी	बोकारो-स्टील सिटी।	उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल।
34	उप-श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर	भागलपुर एवं कोशी प्रमंडल (मुंगेर के खगड़िया अनुमंडल को छोड़कर।
35	उप-श्रमायुक्त, रांची	रांची	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के रांची एवं पलामू जिला।
36	सहायक श्रमायुक्त, पटना	पटना	पटना, भोजपुर, नालंदा एवं नवादा जिला।
37	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर	डालमियानगर	रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिला।

1	2	3	4
38	सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	तिरहुत प्रमंडल।
39	सहायक श्रमायुक्त, बरौनी	बेगुसराय	दरभंगा प्रमंडल तथा मुंगेर जिला का खगड़िया अनुमंडल।
40	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	कटिहार	कोशी प्रमंडल।
41	सहायक श्रमायुक्त, जमशेदपुर	जमशेदपुर	सिंहभूम जिला।
42	सहायक श्रमायुक्त, धनबाद	धनबाद	उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल।
43	सहायक श्रमायुक्त, रांची	रांची	रांची एवं पलामू जिला।
44	श्रम अधीक्षक, पटना	पटना	पटना जिला।
45	श्रम अधीक्षक, नालन्दा	बिहारशरीफ	नालंदा जिला।
46	श्रम अधीक्षक, नवादा	नवादा	नवादा जिला।
47	श्रम अधीक्षक, गया	गया	गया जिला।
48	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद जिला।
49	श्रम अधीक्षक, भोजपुर	आरा	भोजपुर जिला।
50	श्रम अधीक्षक, रोहतास	डालमियानगर	रोहतास जिला।
51	श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर जिला।
52	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी जिला।
53	श्रम अधीक्षक, वैशाली	हाजीपुर	वैशाली जिला।
54	श्रम अधीक्षक, सारण	छपरा	सारण जिला।
55	श्रम अधीक्षक, सीवान	सिवान	सिवान और गोपालगंज जिला।
56	श्रम अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण	बेतिया	पश्चिमी चम्पारण जिला।
57	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	पूर्वी चम्पारण जिला।
58	श्रम अधीक्षक, मधुबनी	मधुबनी	मधुबनी जिला।
59	श्रम अधीक्षक, दरभंगा	दरभंगा	दरभंगा जिला।
60	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर	समस्तीपुर	समस्तीपुर जिला।
61	श्रम अधीक्षक, भागलपुर	भागलपुर	भागलपुर जिला।
62	श्रम अधीक्षक, मुंगेर	मुंगेर	खगड़िया एवं जमुई अनुमंडलों को छोड़कर मुंगेर जिला।
63	श्रम अधीक्षक, जमुई	जमुई	सम्पूर्ण जमुई अनुमंडल।
64	श्रम अधीक्षक, बेगुसराय	बेगुसराय	मुंगेर जिला खगड़िया अनुमंडल सहित बेगुसराय जिला।
65	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ जिला।
66	श्रम अधीक्षक, कटिहार	कटिहार	कटिहार जिला।
67	श्रम अधीक्षक, सहरसा	सहरसा	सहरसा जिला।
68	श्रम अधीक्षक, देवघर	देवघर	संथाल परगना जिले के देवघर और जामतारा अनुमंडल।

1	2	3	4
69	श्रम अधीक्षक, दुमका	दुमका	संथाल परगना जिला का गोड्डा और दुमका अनुमंडल।
70	श्रम अधीक्षक, साहेबगंज	साहेबगंज	संथाल परगना जिला के साहेबगंज और पाकुर अनुमंडल।
71	श्रम अधीक्षक, रांची	रांची	रांची जिला।
72	श्रम अधीक्षक, हजारीबाग	हजारीबाग	हजारीबाग जिला।
73	श्रम अधीक्षक, गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह जिला।
74	श्रम अधीक्षक, बोकारो स्टील सिटी	बोकारो स्टील सिटी	धनबाद जिला के बोकारो स्टील प्रोजेक्ट का कार्य क्षेत्र और चास बाजार क्षेत्र।
75	श्रम अधीक्षक, धनबाद	धनबाद	धनबाद जिला (बोकारो स्टील सिटी प्रोजेक्ट क्षेत्र और चास बाजार क्षेत्र को छोड़कर)।
76	श्रम अधीक्षक, पलामू	डालटेनगंज	पलामू जिला।
77	श्रम अधीक्षक, चाईबासा	चाईबासा	सिंहभूम जिला का चाईबासा अनुमंडल।
78	श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर	जमशेदपुर	सिंहभूम जिला के धालभूम और सरायकेला खरसावां अनुमंडल।

●

S. O. 1346 dated the 31st August, 1979.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bihar Industrial Establishment (National and Festival Holidays and Casual Leave) Act, 1971 (Bihar Act no. 17 of 1977), the Governor of Bihar is pleased to appoint 1st September, 1979 as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force in the whole State of Bihar.

THE BIHAR INDUSTRIAL ESTABLISHMENT (NATIONAL AND FESTIVAL HOLIDAYS AND CASUAL LEAVE) RULES, 1979.

The 10th October 1979

S. O. 1492, dated the 15th October 1979.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bihar Industrial Establishment (National & Festival Holidays and Casual Leaves) Act, 1971 (Bihar Act 17 of 1977), the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules, the same having been published as required under Section 14 (1) of the said Act :—

RULES

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Bihar Industrial Establishments (National and Festival Holidays and Casual Leave) Rules, 1979.

(2) These rules shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) Save as otherwise expressly provided elsewere these rules shall come into force at once.

2. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) 'Act' means the Bihar Industrial Establishment (National and Festival Holidays and Casual Leave) Act, 1971 (Bihar Act 17 of 1977);

(b) 'Inspector' means an inspector appointed under section 7 of the Act;

(c) "Section" means a section of the Act.

3. National and Festival Holidays.—(1) No employee shall be required to work in any industrial establishment, to which the Act applies, on a National Holiday as provided under sub-section 1 (a) of section 3 and on 1st May of each calendar year unless a notice has been served by the management at least 48 hours in advance on such workers requiring them to work on that day. A copy of such notice shall also be displayed on the Notice Board of the establishment.

Each such industrial establishment shall also maintain a register of the employees required to work on the National Holiday or on 1st May in Form 1.

(2) Each employer of an industrial establishment shall at the beginning of each calendar year or within 60 days from the date of commencement of work in the case of new industrial establishment, display a notice asking his employees to indicate their choice in respect of 4 festival holidays out of the list of festival holidays mentioned in the schedule under sub-section (1) (b) of section 3 of the Act.

(3) Every employee shall be allowed to avail of the festival holidays according to his choice indicated under sub-rule (2) unless the management for reasons to be notified 3 days in advance of the beginning of the festival requires a particular worker or a group of workers to work on a particular festival day.

4. **Casual leave.**—(1) An employee may apply in writing to the employer at any time not less than fortyeight hours before the date on which he wishes his leave to begin, to take all the casual leave or any portion thereof admissible to him during the calendar year.

(2) If a worker wants to avail himself of the casual leave due to him to cover a period of illness he shall be granted such leave even if the application for leave is not made within the time specified in sub-rule (1).

(3) An application for leave which does not contravene the provisions of sub-rule (1), shall not be refused unless it is necessary to do so due to urgent nature of work being performed by the employee.

(4) In case leave has been refused the employee will be allowed to avail the leave before the end of the calendar year :

Provided that no employee shall be entitled to casual leave in continuation to annual leave with wages granted under section 79 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and section 30 of the Plantation Labour Act, 1951 (69 of 1951).

(5) Workmen who have not completed continuous service of one year as defined in section 25-B of the Industrial Disputes Act, 1947 shall be allowed casual leave proportionate to the number of days worked by them during the year.

5. **Maintenance of registers of casual leave and festival holidays.**—(1) A register of festival holidays shall be maintained by the employer in Form no. 2 and it shall be made available by him for inspection by the Inspector.

(2) A register of casual leave shall be maintained by the employer in Form no. 3 and shall be made available by him inspection by the employees and Inspector.

6 **Information required by the Inspector.**—The employer of an industrial establishment shall furnish any such information that an Inspector may require for the purpose of satisfying himself whether any provision of the Act or Rules made thereunder has been complied with or whether any order of Inspector has been duly carried out.

7. **Maintenance of Inspection Book.**—The employer of evey industrial establishment shall maintain a bound inspection book and shall produce it when required by the Inspector.

FORM 1

REGISTER OF WORKERS REQUIRED TO WORK IN A NATIONAL HOLIDAY

Name of National Holiday with date	Names of such workers with ticket number who are required to work on a National Holiday or 1st May.	Reasons for calling the worker to work on a National Holiday.	Date on which alternative holiday was allowed or details of other benefit given.	Remarks.
1	2	3	4	5

Signature of the Employer.

FORM 2

REGISTER OF WORKERS REQUIRED TO WORK ON A FESTIVAL HOLIDAY

Name of the festival with date.	Name of the worker with ticket no.	Reasons for callin the worker to work on festival holiday	Date on which national holiday was allowed or which other benefit was given.	Remarks.
1	2	3	4	5

Signature of the employer.

FORM 3

REGISTER OF CASUAL LEAVE

Name of the Industrial Establishment—

Serial no.—

Department—

Name of employer—

Calendar year	Dates on which casual leave was granted.	Dates on which casual leave was refused.	Remarks.
1	2	3	4

Signature of the Employer.

बिहार औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश तथा आकस्मिक छुट्टी) नियमावली, १९७९।

एस० ओ० 1492, दिनांक 15 अक्टूबर 1979—बिहार औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) अधिनियम, 1971 (बिहार अधिनियम 17, 1977) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित नियमावली बनाते हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) की अपेक्षानुसार पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है—

नियमावली

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली बिहार औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश तथा आकस्मिक छुट्टी) नियमावली, 1979 कही जा सकेगी।

(2) इस नियमावली का प्रसार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) अन्यत: अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं—जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक स्थापना (राष्ट्रीय एवं उत्सव तथा आकस्मिक छुट्टी) अधिनियम, 1971 (बिहार अधिनियम 17, 1977)।

(ख) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त निरीक्षक।

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।

3. राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश—(1) किसी भी कर्मचारी से ऐसी औद्योगिक स्थापना में जिसमें यह अधिनियम लागू होता हो, धारा 3 की उप-धारा 1 (क) में उपबंधित राष्ट्रीय अवकाश के दिन और प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की पहली मई को कार्य करने की अपेक्षा तब तक नहीं की जायेगी, जबतक कि प्रबंधन उस दिन कार्य करने के लिये अपेक्षा करने वाली सूचना ऐसे कर्मचारियों पर कम-से-कम 48 घण्टे पूर्व तामिल न करा चुका हो। ऐसी सूचना की एक प्रति स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

ऐसी प्रत्येक औद्योगिक स्थापना ऐसे कर्मचारियों का जिन्हें राष्ट्रीय अवकाश के दिन या 1 मई को कार्य करना है, फारम 1 में एक रजिस्टर भी रखेगा।

(2) औद्योगिक स्थापना का प्रत्येक नियोजक प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के प्रारम्भ में या नई औद्योगिक स्थापनाओं के मामले में उसके कार्यारम्भ की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना प्रदर्शित करके अपने कर्मचारियों से यह पूछेगा कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) (ख) के अधीन अनुसूची में उल्लिखित उत्सव अवकाश की सूची में से वे कौन-कौन से चार उत्सव अवकाश पसन्द करते हैं।

(3) हरेक कर्मचारी को उप-धारा (2) के अधीन उपदर्शित पसन्द के अनुसार उत्सव अवकाश का भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, जबतक कि प्रबंधन उत्सव के प्रारम्भ के 3 दिन पूर्व अधिसूचित कारणों से किसी विशिष्ट उत्सव के दिन कार्य करने के लिए विशिष्ट कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह की अपेक्षा न करें।

4. **आकस्मिक छुट्टी**—(1) कोई कर्मचारी, जिस तारीख से वह छुट्टी पर रहना चाहे उससे कम-से-कम अड़तालिस घण्टा पूर्व किसी भी समय कैलेन्डर वर्ष के दौरान उससे अनुमान्य सारी आकस्मिक छुट्टी या उसका कोई भाग लेने के लिये, नियोजक के पास लिखित रूप में आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि कोई कर्मचारी बीमारी की अवधि काल के लिये अपनी आकस्मिक छुट्टी का उपभोग करना चाहता हो, तो, उसे ऐसी छुट्टी दी जाएगी, भले ही ऐसी छुट्टी के लिए आवेदन उप-नियम सं० (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया गया हो।

(3) छुट्टी का आवेदन यदि वह उप-नियम (1) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करता हो, तभी नामंजूर किया जाएगा जबकि कर्मचारी द्वारा सम्पादय काम अर्जेण्ट ढंग का होने के कारण ऐसा करना आवश्यक हो।

(4) यदि छुट्टी नामंजूर कर दी जाए, तो उस कर्मचारी को उस कैलेन्डर वर्ष के बीतने के पहले उस छुट्टी का उपभोग करने की अनुमति दी जाएगी :-

परन्तु कोई भी कर्मचारी कारखाना अधिनियम, 1948 (63, 1948) की धारा 79 और बागान श्रमिक अधिनियम, 1950 (69, 1951) की धारा 30 के अधीन स्वीकृति सहित मंजूरी वार्षिक छुट्टी के साथ जोड़ कर आकस्मिक छुट्टी लेने का हकदार नहीं होगा।

(5) ऐसे कामगारों को जिन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25ख में यथापरिभाषित एक वर्ष की लगातार सेवा पूरा नहीं की हो आकस्मिक छुट्टी जितने उसने वर्ष के दौरान काम किया हो उसी अनुपात में दी जायेगी।

5. **आकस्मिक छुट्टी और उत्सव अवकाश के रजिस्टरों का रखा जाना**—(1) हरेक नियोजक उत्सव अवकाश का एक रजिस्टर फारम संख्या 2 में रखेगा और वह निरीक्षक को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

(2) हरेक नियोजक आकस्मिक छुट्टी का एक रजिस्टर फारम संख्या 3 में रखेगा और वह कर्मचारियों तथा निरीक्षक को निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराएगा।

6. **निरीक्षक द्वारा अपेक्षित जानकारी**—औद्योगिक स्थापना का नियोजक ऐसी कोई जानकारी जिसकी मांग निरीक्षक यह अभिनिश्चत करने के लिये करे कि अधिनियम के या उनके अधीन बनी नियमावली के किसी उपबन्ध का अनुपालन हुआ है या नहीं, अथवा निरीक्षक के किसी आदेश का पालन सम्यक् रूप से किया गया है या नहीं।

7. **निरीक्षण बही का रखा जाना**—हरेक औद्योगिक स्थापना का नियोजक एक बंधी हुई निरीक्षण बही रखेगा और निरीक्षक के मांगने पर पेश करेगा।

फारम 1

उन कामगारों का रजिस्टर, जिन्हें राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य करना है।

राष्ट्रीय अवकाश का नाम और तारीख।	ऐसे कामगारों के नाम और टिकट न० जिन्हें राष्ट्रीय अवकाश या १ मई को कार्य करना है।	राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य करने के लिये कामगार को बुलाने के कारण।	किस तारीख के लिए वैकल्पिक अवकाश अनुमत हुआ या कौन-सा अन्य लाभ दिया गया।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

नियोजक का हस्ताक्षर।

फारम 2

ऐसे कामगारों का रजिस्टर, जिन्हें उत्सव अवकाश के दिन कार्य करना है।

उत्सव का नाम और तारीख।	कामगार का नाम और टिकट सं०।	उत्सव अवकाश के दिन कार्य करने के लिये कामगार को बुलाने के कारण।	किस तारीख को वैकल्पिक अवकाश अनुमत हुआ या अन्य लाभ दिया गया।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

नियोजक का हस्ताक्षर।

फारम 3

आकस्मिक छुट्टी का रजिस्टर

औद्योगिक स्थापना का नाम—

क्रम संख्या—

विभाग—

कर्मचारी का नाम

कैलेंडर (पंचाग) वर्ष।	किन तारीखों को आकस्मिक छुट्टी मंजूर की गई।	किन तारीखों को आकस्मिक छुट्टी नामंजूर की गई।	अभ्युक्ति।
1	2	3	4